मध्यप्रदेश विधेयक

(क्रमांक २६ सन् २०२४)

मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, २०२४

विषय – सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

२. धारा ६ का संशोधन

३. धारा १० का संशोधन

४. धारा ११–क का अंतःस्थापन.

५. धारा १३ का संशोधन.

६. धारा १६ का संशोधन.

७. धारा १७ का संशोधन.

८. धारा २१ का संशोधन.

९. धारा ३० का संशोधन.

१०. धारा ३१ का संशोधन.

११. धारा ३५ का संशोधन.

१२. धारा ३६ का संशोधन.

१३. धारा ४६ का संशोधन.

१४. धारा ५० का संशोधन.

१५. धारा ५१ का संशोधन.

१६. धारा ५४ का संशोधन.

१७. धारा ६१ का संशोधन.

१८. धारा ६२ का संशोधन.

१९. धारा ६३ का संशोधन.

२०. धारा ६४ का संशोधन.

२१. धारा ६५ का संशोधन.

२२. धारा ६६ का संशोधन.

२३. धारा ७० का संशोधन.

२४. धारा ७३ का संशोधन.

२५. धारा ७४ का संशोधन.

२६. धारा ७४क का अंतःस्थापन.

२७. धारा ७५ का संशोधन.

२८. धारा १०४ का संशोधन.

२९. धारा-१०७ का संशोधन.

३0. धारा ११२ का संशोधन.

३१. धारा १२२ का संशोधन.

३२. धारा १२७ का संशोधन.

३३. धारा १२८क का अंतःस्थापन.

३४. धारा १७१ का संशोधन.

३५. अनुसूची ३ का संशोधन.

३६. संदत्त करों या प्रतिलोम इनपुट कर प्रत्यय का कोई प्रतिदाय न किया जाना.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २६ सन् २०२४

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, २०२४

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान–मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

१. (१) इस विधेयक का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, २०२४ है.

(२) अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध ऐसी तारीख से प्रवृत्त होंगे, जैसा कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे :

परन्तु इस अधिनियम के भिन्न–भिन्न उपबंधो के लिए भिन्न–भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश हैं।

धारा ६ का संशोधन

२. मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (क्रमांक १६ सन् २०१७) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) का धारा ६ में, उपधारा (१) में, शब्द "मानवीय उपभोग के लिए मद्यसारिकपान" के पश्चात्, शब्द "और विकृत अतिरिक्त निष्प्रभावी ऐल्कोहल या परिशोधित स्पिरिट, जो मानवीय उपभोग के लिए मद्यसारिकपान के विनिर्माण हेतु प्रयुक्त किया जाता है," अंतःस्थापित किए जाएं.

धारा १० का संशोधन

३. मूल अधिनियम की धारा १० में, उपधारा (५) में, शब्द और अंक "धारा ७३ या धारा ७४", के पश्चात, शब्द, अंक और अक्षर "या धारा ७४क", अंतःस्थापित किए जाएं.

धारा ११क का अंतः स्थापन. साधारण पद्धति के परिणामस्वरूप उद्ग्रहीत नहीं किए गए या कम उद्ग्रहीत किए गए माल और सेवा कर की वसूली न करने की शक्ति.

मूल अधिनियम की धारा ११ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतः स्थापित की जाए, अर्थात् :–

"११क. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार का यह समाधान हो जाता है कि,–

(क) माल या सेवाओं या दोनों की किसी प्रदाय पर राज्य कर के उद्ग्रहण जिसमें उसकी उद्ग्रहण सम्मिलित है के संबंध में कोई पद्धति साधारणतया प्रचलन में थी या है; और

(ख) ऐसी प्रदाय, जो निम्नलिखित के लिए दायी थी या है –

(एक) उन मामलों में, जहां उक्त पद्धति के अनुसार, राज्य कर उदग्रहीत नहीं किया गया था या उदग्रहीत नहीं किया जा रहा है, राज्य कर; या

(दो) राज्य कर की ऐसी रकम, जिसे उक्त पद्धति के अनुसार उद्ग्रहीत किया जा रहा था या किया जा रहा है, से उच्चतर रकम है, तो राज्य सरकार, परिषद् की सिफारिश पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निर्देश दे सकेगी कि, यथास्थिति, ऐसी प्रदाय पर संदेय संपूर्ण राज्य कर या ऐसी प्रदाय पर संदेय राज्य कर के आधिक्य में राज्य कर, यदि उक्त पद्धति नहीं होती तो, उन प्रदाय के संबंध में संदत्त किया जाना अपेक्षित नहीं होगा, जिन पर राज्य कर, उक्त पद्धति के अनुसार, उद्ग्रहीत नहीं किया जा रहा था या उदग्रहीत नहीं किया जा रहा है या कम उद्ग्रहीत किया जा रहा था या कम उदग्रहीत किया जा रहा है.".

धारा १३ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा १३ में, उपधारा (३) में, –

(एक) खंड (ख) में, शब्द "प्रदायकर्ता द्वारा" के स्थान पर, शब्द "उन मामलों में, जहां बीजक प्रदायकर्ता द्वारा जारी किया जाना अपेक्षित है, प्रदायकर्ता द्वारा", स्थापित किए जाएं तथा शब्द "पश्चातवर्ती तारीख" के पश्चात्, शब्द "या" स्थापित किए जाएं.

(दो) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"(ग) उन मामलों में, जहां बीजक, प्राप्तकर्ता द्वारा जारी किया जाना है, वहां प्राप्तकर्ता द्वारा बीजक जारी किए जाने की तारीख:";

(तीन) पहले परंतुक में, शब्द, कोष्ठक और अक्षर "या खंड (ख) " के पश्चात्, शब्द, कोष्ठक और अक्षर"या खंड (ग)" अंतःस्थापित किए जाएं.

धारा १६ का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा १६ में १ जुलाई, २०१७ से, उपधारा (४) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :–

"(५) उपधारा (४) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वित्तीय वर्ष २०१७–१८, २०१८–१९, २०१९–२० और २०२०–२१ से संबंधित, माल या सेवाओं या दोनों की प्रदाय के लिए किसी बीजक या नामे नोट के संबंध में, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा ३९ के अधीन किसी विवरणी में, जिसे ३० नवंबर, २०२१ तक फाइल किया गया है, इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा.

(६) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण, धारा २९ के अधीन रद्द किया जाता है और तत्पश्चात् या तो धारा ३० के अधीन किसी आदेश द्वारा या अपील प्राधिकारी अथवा अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा किए गए किसी आदेश के अनुसरण में, रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण प्रतिसंहरण किया जाता है और जहां बीजक या नामे नोट के संबंध में, इनपुट कर प्रत्यय का लाभ रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के आदेश की तारीख को उपधारा (४) के अधीन निर्बन्धित नहीं था, वहां उक्त व्यक्ति, धारा ३९ के अधीन ऐसी विवरणी में माल या सेवाओं या दोनों की प्रदाय के लिए ऐसे बीजक या नामे नोट के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा, जो–

(एक) उस वित्तीय वर्ष के पश्चात् आने वाले ३० नवंबर, जिससे ऐसा बीजक या नामनोट संबंधित है, सुसंगत वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने तक, इनमें जो भी पूर्वतर हो, फाइल की जाती है; या

(दो) यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की तारीख से या रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तारीख से, उस अवधि के लिए, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के आदेश की तारीख तक, जहां ऐसी विवरणी रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर, इनमें जो भी पश्चातवर्ती हो, फाइल की जाती है.".

धारा १७ का संशोधन.

७. मूल अधिनियम की धारा १७ में उपधारा (५) में, खंड (झ) में, शब्द और अंक "धारा ७४, धारा १२९ और धारा १३०" के स्थान पर, शब्द और अंक "वित्तीय वर्ष २०२३–२४ तक किसी वित्तीय वर्ष के संबंध में धारा ७४" स्थापित किए जाएं,

धारा २१ का संशोधन.

८. मूल अधिनियम की धारा २१ में, शब्द और अंक "धारा ७३ या धारा ७४", के पश्चात्, शब्द, अंक और अक्षर" या धारा ७४क" अंतःस्थापित किए जाएं.

धारा ३० का संशोधन.

९. मूल अधिनियम की धारा ३० में, उपधारा (२) में परंतुक के पश्चात्, पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परंतुक् अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"परंतु यह और कि ऐसे रजिस्ट्रीकरण के रद्ददकरण का प्रतिसंहरण, ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन होगा, जो विहित की जाए.".

धारा ३१ का संशोधन.

१०. मूल अधिनियम की धारा ३१ में,उपधारा (३) में,–

(क) खंड (च) में, शब्द तथा अंक "कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो "धारा ९ की उपधारा (३) या उपधारा (४) के अधीन कर संदत्त करने के लिए दायी है", के पश्चात्, शब्द "ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए" अंतःस्थापित किए जाएं."

(ख) खंड (छ) के पश्चात, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"स्पष्टीकरण–खंड (च) के प्रयोजनों के लिए, "ऐसे प्रदाता से, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है" पद के अंतर्गत ऐसा प्रदायकर्ता भी होगा, जो केवल धारा ५१ के अधीन कर की कटौती के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकृत है.".

११. मूल अधिनियम की धारा ३५ में, उपधारा (६) में,शब्द और अंक "धारा ७३ या धारा ७४" के पश्चात्, शब्द, अंक और अक्षर "या धारा ७४क", अंतःस्थापित किए जाएं. — धारा ३५ का संशोधन.

१२. मूल अधिनियम की धारा ३६ की उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :– — धारा ३६ का संशोधन.

"(३) धारा ५१ के अधीन, स्रोत पर कर कटौती के लिए अपेक्षित प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कलैंडर मास के लिए, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित की जाए, मास के दौरान की गई कटौतियों की एक विवरणी इलैक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत करेगा :

परंतु उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कलैंडर मास के लिए एक विवरणी प्रस्तुत करेगा, चाहे उक्त मास के दौरान कोई कटौतियां की गई हों अथवा नहीं.".

१३. मूल अधिनियम की धारा ४६ की उपधारा (८) में, खंड (ग) में, शब्द और अंक "धारा ७३ या धारा ७४", के पश्चात्, शब्द, अंक और "अक्षर" या धारा ७४क", अंतःस्थापित किए जाएं. — धारा ४६ का संशोधन.

१४. मूल अधिनियम की धारा ५० की उपधारा (१) के परंतुक में, शब्द और अंक "धारा ७३ या धारा ७४", शब्दों और अंकों के पश्चात्, शब्द, अंक और अक्षर "या धारा ७४क", अंतःस्थापित किए जाएं. — धारा ५० का संशोधन.

१५. मूल अधिनियम की धारा ५१ में, उपधारा (७) में, शब्द और अंक "धारा ७३ या धारा ७४", के पश्चात्, शब्द, अंक और अक्षर"या धारा ७४क", अंतःस्थापित किए जाएं. — धारा ५१ का संशोधन.

१६. मूल अधिनियम की धारा ५४ में,– — धारा ५४ का संशोधन.

(क) उपधारा (३) के दूसरे परंतुक का लोप किया जाए ;

(ख) उपधारा (१४) के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :–

"(१५) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, माल की प्रदाय की शून्य रेटेड के मद्दे अनुपयोजित इनपुट कर प्रत्यय या माल की शून्य रेटेड प्रदाय के मद्दे संदत्त एकीकृत कर का कोई प्रतिदाय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जहां माल की ऐसी शून्य रेटेड प्रदाय निर्यात शुल्क के अध्यधीन है.".

१७. मूल अधिनियम की धारा ६१ में, उपधारा (३) में, शब्द और अंक "धारा ७३ या धारा ७४", के पश्चात, शब्द, अंक और अक्षर "या धारा ७४क", अंतःस्थापित किए जाएं. — धारा ६१ का संशोधन.

१८. मूल अधिनियम की धारा ६२ में उपधारा (१) में, शब्द और अंक "धारा ७३ या धारा ७४" के पश्चात, शब्द, अंक और अक्षर "या धारा ७४क", अंतःस्थापित किए जाएं. — धारा ६२ का संशोधन.

१९. मूल अधिनियम की धारा ६३ में, शब्द और अंक "धारा ७३ या धारा ७४", के पश्चात, शब्द, अंक और अक्षर "या धारा ७४क", अंतःस्थापित किए जाएं. — धारा ६३ का संशोधन.

२०. मूल अधिनियम की धारा ६४ में, उपधारा (२) में, शब्द और अंक "धारा ७३ या धारा ७४", के पश्चात, शब्द, अंक और अक्षर "या धारा ७४क", अंतःस्थापित किए जाएं. — धारा ६४ का संशोधन.

२१. मूल अधिनियम की धारा ६५ में, उपधारा (७) में, शब्द और अंक "धारा ७३ या धारा ७४", के पश्चात, शब्द, अंक और अक्षर "या धारा ७४क", अंतःस्थापित किए जाएं. — धारा ६५ का संशोधन.

२२. मूल अधिनियम की धारा ६६ में, उपधारा (६) में, शब्द और अंक "धारा ७३ या धारा ७४", के पश्चात, शब्द, अंक और अक्षर"या धारा ७४क", अंतःस्थापित किए जाएं. — धारा ६६ का संशोधन.

धारा ७० का संशोधन.

२३. मूल अधिनियम की धारा ७० में, उपधारा (१) के पश्चात, निम्नलिखित उपधारा अंतः स्थापित की जाए, अर्थातः–

(१क) "उपधारा (१) के अधीन समन किए गए सभी व्यक्ति या तो व्यक्तिगत रूप से या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित होने के लिए आबद्धकर होंगे, जैसा ऐसा अधिकारी निर्देश दे और इस प्रकार उपस्थित होने वाला व्यक्ति परीक्षा के दौरान सत्य बोलेगा या कथन करेगा या ऐसे दस्तावेज और अन्य वस्तुएं, जो अपेक्षित हों, प्रस्तुत करेगा."

धारा ७३ का संशोधन.

२४. मूल अधिनियम की धारा ७३ में,–

(एक) पार्श्वशीर्ष में, शब्द "इनपुट कर प्रत्यय का अवधारण" के पश्चात्, शब्द और अंक "वित्तीय वर्ष २०२३–२४ तक की अवधि से संबंधित" अंतःस्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (११) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :–

(१२) इस धारा के उपबंध वित्तीय वर्ष २०२३–२४ तक की अवधि से संबंधित कर के अवधारण को लागू होंगे.".

धारा ७४ का संशोधन.

२५. मूल अधिनियम की धारा ७४ में,–

(एक) पार्श्वशीर्ष में, शब्द "इनपुट कर प्रत्यय का अवधारण" के पश्चात्, शब्द और अंक "वित्तीय वर्ष २०२३–२४ तक की अवधि से संबंधित" अंतःस्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (११) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :–

"(१२) इस धारा के उपबंध वित्तीय वर्ष २०२३–२४ तक की अवधि से संबंधित कर के अवधारण को लागू होंगे.".

(तीन) स्पष्टीकरण २ का लोप किया जाएगा.

धारा ७४क का अंतस्थापन.

२६. मूल अधिनियम की धारा ७४ के पश्चात, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :–

वित्तीय वर्ष २०२४–२५ से तथा उससे आगे किसी कारण से असंदत्त या कम संदत्त कर या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए कर या गलत तरीके से लिए गए या उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय का अवधारण.

"७४क. (१) जहां समुचित अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी कर का संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या जहां इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या उसका उपयोग किया गया है, तो वह ऐसे कर से प्रभार्य उस व्यक्ति को जिसे इस प्रकार संदाय नहीं किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या उसका उपयोग किया गया है, के साथ हेतुक उपदर्शित करने की अपेक्षा करते हुए सूचना तामील करेगा कि क्यों न वह सूचना में विनिर्दिष्ट रकम के साथ धारा ५० के अधीन उस पर संदेय ब्याज और इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुरूप शास्ति का संदाय करे.

परंतु यदि वह कर जिसका संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या जहां इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या उसका उपयोग किया गया है, एक वित्तीय वर्ष में एक हजार रुपये से कम है, तो सूचना जारी नहीं की जाएगी.

(२)समुचित अधिकारी उपधारा (१) के अधीन सूचना उस वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी दाखिल करने की नियत तारीख, जिसके लिए कर संदत्त नहीं किया गया था या कम संदत्त किया गया था या इनपुट कर प्रत्यय गलत लिया गया था या गलत उपयोग किया गया था, से बयालीस मास के भीतर या त्रुटिवश प्रतिदाय की तारीख से बयालीस मास के भीतर जारी करेगा.

(३) जहां उपधारा (१) के अधीन किसी कालावधि के लिए कोई सूचना जारी की गई है, तो समुचित अधिकारी उपधारा (१) के अधीन आने वाली कालावधियों से भिन्न के लिए संदत्त न किए गए कर या कम संदत्त किए गए या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए या गलत तरीके से लिए गए या उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए एक विवरण कर से प्रभार्य व्यक्ति पर तामील कर सकेगा.

(४) ऐसे व्यक्ति पर ऐसे विवरण की तामील को उपधारा (१) के अधीन सूचना की तामील इस शर्त के अधीन रहते हुए समझा जाएगा कि उपधारा (१) से भिन्न ऐसी कर अवधियों के लिए, लिए गए आधार वही हैं, जिनका पूर्व सूचना में वर्णन किया गया है.

(५) उस मामले में जहाँ किसी कर का संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या जहां इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या उपयोग किया गया है, शास्ति,–

(एक) ऐसे व्यक्ति से देय कर का दस प्रतिशत या दस हजार रुपये, जो भी अधिक हो, के समतुल्य होगा जहाँ कर अपवंचन के लिए कपट या जानबूझकर कोई मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने जैसे कारण से भिन्न कोई अन्य कारण है;

(दो) ऐसे व्यक्ति से देय कर के समतुल्य होगा जहाँ कर अपवंचन के लिए कपट या जानबूझकर कोई मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने जैसे कारण है;

(६) समुचित अधिकारी कर से प्रभार्य व्यक्तियों द्वारा किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति से देयकर, ब्याज और शास्ति की रकम अवधारित करेगा और एक आदेश जारी करेगा.

(७) समुचित अधिकारी उपधारा (६) के अधीन आदेश उपधारा (२) में विनिर्दिष्ट सूचना जारी करने की तारीख से बारह मास के भीतर जारी करेगा.

परंतु जहां समुचित अधिकारी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आदेश जारी करने में सक्षम नहीं है, वहां आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी जो समुचित अधिकारी से वरिष्ठ परंतु संयुक्त आयुक्त, राज्य कर के पद से नीचे का न हो, उपधारा (६) के अधीन आदेश जारी करने में विलंब के कारणों को ध्यान में रखते हुए, जिसे विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा, उक्त अवधि को अधिकतम छह माह के लिए आगे बढ़ा सकेगा.

(८)जहाँ कर अपवंचन के लिए कपट या जानबूझकर कोई मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने जैसे कारण से भिन्न किसी अन्य कारण से किसी कर का संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है, या जहां इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या उपयोग किया गया है, कर से प्रभार्य व्यक्ति,–

(एक) उपधारा (१) के अधीन सूचना की तामील से पूर्व, ऐसे कर की रकम को अपने स्वयं के निर्धारण के आधार पर या समुचित अधिकारी द्वारा निर्धारण किए गए कर के आधार पर धारा ५० के अधीन संदेय ब्याज के साथ संदाय कर सकेगा और ऐसे संदाय की लिखित सूचना समुचित अधिकारी को दे सकेगा और समुचित अधिकारी ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, इस प्रकार संदत्त कर के संबंध में या इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अनुरूप देय किसी शास्ति के संबंध में यथास्थिति, उपधारा (१) के अधीन कोई सूचना या उपधारा (३) के अधीन कोई विवरण, तामील नहीं करेगा;

(दो) धारा ५० के अधीन संदेय ब्याज के साथ उक्त कर का हेतुक उपदर्शित करने की सूचना जारी करने के साठ दिन के भीतर संदाय कर देता है तो कोई शास्ति संदेय नहीं होगी और ऐसी सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियों को पूरा हुआ समझा जाएगा.

(९) जहाँ कर अपवंचन के लिए कपट या जानबूझकर कोई मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने जैसे कारण से किसी कर का संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है, या जहां इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या उपयोग किया गया है, कर से प्रभार्य व्यक्ति,–

(एक) उपधारा (१) के अधीन सूचना की तामील के पूर्व, ऐसे कर की रकम को अपने स्वयं के निर्धारण के आधार पर या समुचित अधिकारी द्वारा निर्धारित कर के आधार पर धारा ५० के अधीन संदेय ब्याज और ऐसे कर के पन्द्रह प्रतिशत के समतुल्य शास्ति के साथ संदाय कर सकेगा और ऐसे संदाय की लिखित सूचना

समुचित अधिकारी को दे सकेगा और समुचित अधिकारी ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, इस प्रकार संदत्त कर के संबंध में या इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अनुरूप देय किसी शास्ति के संबंध में उपधारा (१) के अधीन कोई सूचना तामील नहीं करेगा;

(दो) सूचना के जारी करने के साठ दिन के भीतर धारा ५० के अधीन संदेय ब्याज और ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य शास्ति के साथ उक्त कर का संदाय कर सकेगा और ऐसा करने पर उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियां समाप्त हुई समझी जाएंगी.

(तीन) आदेश की संसूचना के साठ दिन के भीतर धारा ५० के अधीन उस पर संदेय ब्याज और ऐसे कर के पचास प्रतिशत के समतुल्य शास्ति के साथ कर का संदाय कर सकेगा और ऐसा करने पर, उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियां समाप्त हुई समझी जाएंगी.

(१०) जहां समुचित अधिकारी का यह मत है कि उपधारा (८) के खंड (एक) या उपधारा (९) के खंड (एक) के अधीन संदत्त रकम वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम है तो वह ऐसी रकम के संबंध में, जो वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम होती है, के लिए उपधारा (१) में यथा उपबंधित सूचना जारी करने के लिए अग्रसर होगा.

(११) उपधारा (८) के खंड (एक) या खंड (दो) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उपधारा (५) के खंड (एक) के अधीन शास्ति वहां संदेय होगी जहां स्वतः निर्धारित कर की कोई रकम या कर के रूप में एकत्रित किसी रकम को ऐसे कर के संदाय की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर संदत्त नहीं किया गया है.

(१२) इस धारा के उपबंध वित्तीय वर्ष २०२४–२५ से तथा उससे आगे कर के निर्धारण के लिए लागू होंगे.

स्पष्टीकरण १ – इस धारा के प्रयोजनों के लिए,–

(एक) पद "उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियां" में धारा १३२ के अधीन कार्यवाहियां सम्मिलित नहीं होंगी ;

(दो) जहां उन्हीं कार्यवाहियों के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी मुख्य व्यक्ति और कुछ अन्य व्यक्तियों को सूचना जारी की जाती है, और ऐसी कार्यवाहियों को इस धारा के अधीन मुख्य व्यक्ति के विरुद्ध पूरा कर लिया गया है, तो धारा १२२ और धारा १२५ के अधीन शास्ति का संदाय करने के लिए दायी सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाहियों को पूरा हुआ समझा जाएगा.

स्पष्टीकरण २ – इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, "छिपाना" पद से ऐसे तथ्यों या जानकारी को घोषित नहीं करना जिसे कराधेय व्यक्ति से इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन विवरणी, विवरण, रिपोर्ट या किसी अन्य दस्तावेज में घोषित करने की अपेक्षा है, या लिखित में मांगे जाने पर किसी सूचना को समुचित अधिकारी को प्रस्तुत करने में असफलता अभिप्रेत होगा.

धारा ७५ का संशोधन.

२७. मूल अधिनियम की धारा ७५ में,–

(क) उपधारा (१) में, शब्द, कोष्ठक और अंक "धारा ७४ की उपधारा (२) और उपधारा (१०)" के पश्चात, शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर "या ७४क उपधारा (२) और (७)" स्थापित किए जाएं;

(ख) उपधारा (२) के पश्चात, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :–

"(२क) जहां किसी अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि धारा ७४क की उपधारा (५) के खंड (दो) के अधीन शास्ति इस कारण से पोषणीय नहीं है कि कर अपवंचन के लिए कपट या जानबूझकर किए गए किसी मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के आरोप उस व्यक्ति के विरुद्ध सिद्ध नहीं किए गए हैं, जिसे सूचना जारी की गई थी, ऐसे व्यक्ति द्वारा शास्ति का संदाय धारा ७४क की उपधारा (५) के खंड (एक) के अधीन होगा.";

(ग) उपधारा (१०) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :–

"(१०) न्यायनिर्णयन कार्यवाहियां समाप्त हुई समझी जाएंगी, यदि आदेश धारा ७३ की उपधारा (१०) या धारा ७४ की उपधारा (१०) या धारा ७४क की उपधारा (७) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर जारी नहीं किया जाता है.";

(घ) उपधारा (११) में, शब्द, कोष्ठक और अंक "धारा ७४ की उपधारा (१०)" के पश्चात्, शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर "या धारा ७४क की उपधारा (७)" अंतःस्थापित किए जाएं;

(ङ) उपधारा (१२) में, शब्द और अंक "धारा ७३ या धारा ७४" के पश्चात्, शब्द, अंक और अक्षर "या धारा ७४क" अंतःस्थापित किए जाएं;

(च) उपधारा (१३) में, शब्द और अंक "धारा ७३ या धारा ७४" के पश्चात्, शब्द, अंक और अक्षर "या धारा ७४क" अंतःस्थापित किए जाएं.

धारा १०४ का संशोधन.

२८. मूल अधिनियम की धारा १०४ की उपधारा (१) में, शब्द, कोष्ठक और अंक "या धारा ७४ की उपधारा (२) और उपधारा (१०)" के पश्चात, शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर "या ७४क की उपधारा (२) और (७)" अंतःस्थापित किए जाएं.

धारा १०७ का संशोधन.

२९. मूल अधिनियम की धारा १०७ में,–

(क) उपधारा (६) में, खंड (ख) में, शब्द "पच्चीस" के स्थान पर, शब्द "बीस" स्थापित किए जाए;

(ख) उपधारा (११) में, दूसरे परंतुक में, शब्द और अंक "धारा ७३ या धारा ७४" के पश्चात्, शब्द, अंक और अक्षर "या धारा ७४क" अंतःस्थापित किए जाएं.

धारा ११२ का संशोधन.

३०. मूल अधिनियम की धारा ११२ में,–

(क) १ अगस्त, २०२४ से, उपधारा (१) में, शब्द "उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील चाही गई है, अपील करने वाले व्यक्ति को संसूचना की तारीख से" के पश्चात्, शब्द "या वह तारीख, जो इस अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण के समक्ष अपील फाइल करने के लिए, परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, जो भी पश्चातवर्ती हो" अंतःस्थापित किए जाएं;

(ख) १ अगस्त, २०२४ से, उपधारा (३) में, शब्द "उक्त आदेश पारित किया गया है" के पश्चात्, शब्द "या उस तारीख से, जो इस अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण के समक्ष अपील फाइल करने के प्रयोजन के लिए, परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, जो भी पश्चातवर्ती हो" अंतःस्थापित किए जाएं;

(ग) उपधारा (६) में, शब्द, कोष्ठक और अंक "उपधारा (१) में निर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात्", के पश्चात्, शब्द, कोष्ठक और अंक "या उपधारा (३) में निर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात्" तीन मास के भीतर आवेदन फाइल करना अनुज्ञात कर सकेगा" अंतःस्थापित किए जाएं;

(घ) उपधारा (८) के खंड (ख) में,–

(एक) शब्द "बीस प्रतिशत" के स्थान पर, शब्द "दस प्रतिशत" स्थापित किए जाएं;

(दो) शब्द "पचास करोड़ रुपए" के स्थान पर, शब्द "बीस करोड़ रुपए" स्थापित किए जाएं.

धारा १२२ का संशोधन.

३१. मूल अधिनियम की धारा १२२ में, उपधारा (१ख) में, १ अक्टूबर, २०२३ से शब्द जो "कोई भी इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक," के स्थान पर, शब्द और अंक "कोई इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक, जो धारा ५२ के अधीन स्त्रोत पर कर संग्रहण के लिए दायी है," स्थापित किए जाएं.

धारा १२७ का संशोधन.

३२. मूल अधिनियम की धारा १२७ में, शब्द और अंक "धारा ७३ या धारा ७४" के पश्चात्, शब्द, अंक और अक्षर "या धारा ७४क" अंतःस्थापित किए जाएं.

धारा १२८क का अंतःस्थापन. कतिपय कर अवधियों के लिए, धारा ७३ के अधीन की गई मांगों से संबंधित ब्याज या शास्ति या दोनों का अधित्यजन.

३३. मूल अधिनियम की धारा १२८ के पश्चात, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :–

"१२८क. (१) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जहां किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित के अनुसार कर से प्रभार्य कर की कोई रकम संदेय है,–

(क) धारा ७३ की उपधारा (१) के अधीन जारी सूचना या धारा ७३ की उपधारा (३) के अधीन जारी कथन और जहां धारा ७३ की उपधारा (९) के अधीन कोई आदेश जारी नहीं किया गया है; या

(ख) धारा ७३ की उपधारा (९) के अधीन पारित आदेश और जहां धारा १०७ की उपधारा (११) या धारा १०८ की उपधारा (१) के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया गया है; या

(ग) धारा १०७ की उपधारा (११) या धारा १०८ की उपधारा (१) के अधीन पारित आदेश, और जहां धारा ११३ की उपधारा (१) के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया गया है,

१ जुलाई, २०१७ से ३१ मार्च, २०२० की अवधि या उसके भाग से संबंधित है, और उक्त व्यक्ति, परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख को या उसके पूर्व, यथास्थिति, खंड (क), खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट सूचना या कथन या आदेश के अनुसार संदेय कर की पूरी रकम का संदाय करता है, धारा ५० के अधीन कोई ब्याज और इस अधिनियम के अधीन कोई शास्ति संदेय नहीं होगी और, यथास्थिति, उक्त सूचना या आदेश या कथन के संबंध में सभी कार्यवाहियां ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, समाप्त हुई समझी जाएंगी;

परंतु जहां धारा ७४ की उपधारा (१) के अधीन कोई सूचना जारी की गई है और धारा ७५ की उपधारा (२) के उपबंधों के अनुसार अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के निर्देश के अनुसरण में, समुचित अधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित किया जाता है या पारित किया जाना अपेक्षित है, यथास्थिति, उक्त सूचना या आदेश, इस उपधारा के खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट सूचना या आदेश माना जाएगा:

परंतु यह और कि उन मामलों में, जहां आवेदन धारा १०७ की उपधारा (३) या धारा ११२ की उपधारा (३) के अधीन फाइल किया जाता है या धारा ११७ की उपधारा (१) के अधीन या धारा ११८ की उपधारा (१) के अधीन राज्य कर के किसी अधिकारी द्वारा अपील फाइल की जाती है या जहां खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी आदेश के विरुद्ध या पहले परंतुक में निर्दिष्ट अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के निर्देशों के विरुद्ध धारा १०८ की उपधारा (१) के अधीन कोई कार्यवाहियां आरंभ की जाती हैं, वहां इस उपधारा के अधीन कार्यवाहियों की समाप्ति इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त व्यक्ति उक्त आदेश की तारीख से तीन मास के भीतर, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय या पुनरीक्षण प्राधिकारी के आदेश के अनुसार संदेय कर की अतिरिक्त रकम, यदि कोई हो, का संदाय करता है :

परंतु यह भी कि जहां ऐसा ब्याज और शास्ति पहले ही संदत्त कर दी गई है, उसका कोई प्रतिदाय उपलब्ध नहीं होगा.

(२) उपधारा (१) में अंतर्विष्ट कोई बात, त्रुटिवश प्रतिदाय के मद्दे किसी व्यक्ति के द्वारा संदेय किसी रकम के संबंध में लागू नहीं होगी.

(३) उपधारा (१) की कोई बात, उन मामलों के संबंध में लागू नहीं होगी, जहां, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के समक्ष उक्त व्यक्ति द्वारा फाइल की गई कोई अपील या रिट याचिका लंबित है, और उक्त व्यक्ति द्वारा उपधारा (१) के अधीन अधिसूचित तारीख को या उसके पूर्व वापस नहीं ली गई है.

(४) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां उपधारा (१) के अधीन विनिर्दिष्ट कोई रकम संदत्त की गई है और उक्त उपधारा के अधीन कार्यवाहियां समाप्त हुई समझी जाती हैं, वहां धारा १०७ की उपधारा (१) या धारा ११२ की उपधारा (१) के अधीन कोई अपील, यथास्थिति, उपधारा (१) के खंड (ख) और खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी आदेश के विरुद्ध नहीं होगी.".

३४. मूल अधिनियम की धारा १७१ में,— धारा १७१ का संशोधन.

(क) उपधारा (२) में, पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक और स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएं, अर्थात्:—

"परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, उस तारीख को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिससे उक्त प्राधिकारी इस बारे में परीक्षा के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं करेगा कि क्या किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा लिए गए इनपुट कर प्रत्ययों या कर की दर में कमी वास्तव में उसके द्वारा प्रदाय किए गए माल या सेवाओं या दोनों की कीमत में आनुपातिक कमी के समरूप है.

स्पष्टीकरण— इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "परीक्षा के लिए अनुरोध" से इस बारे में कि क्या किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा लिए गए इनपुट कर प्रत्ययों या कर की दर में कमी से वास्तव में उसके द्वारा प्रदाय किए गए माल या सेवाओं या दोनों की कीमत में आनुपातिक कमी हुई है, परीक्षा का अनुरोध करने के लिए आवेदक द्वारा फाइल किया गया लिखित आवेदन अभिप्रेत है.";

(ख) स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण १ के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाए और इस प्रकार पुनः संख्याकित स्पष्टीकरण १ के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

'स्पष्टीकरण २— इस धारा के प्रयोजनों के लिए, पद "प्राधिकारी" के अंतर्गत "अपील अधिकरण" सम्मिलित होगा.

३५. मूल अधिनियम की अनुसूची ३ में, पैरा ८ के पश्चात् और स्पष्टीकरण १ के पूर्व, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किए जाएं, अर्थात अनुसूची ३ का संशोधन.

"९. इस शर्त के अधीन रहते हुए कि मुख्य बीमाकर्ता, बीमा किए गए व्यक्ति द्वारा संदत्त प्रीमियम की संपूर्ण रकम पर केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर का संदाय करता है, सह बीमा करारों में बीमा किए गए व्यक्ति को मुख्य बीमाकर्ता और सह–बीमाकर्ता द्वारा संयुक्त रूप से प्रदाय की गई बीमा सेवाओं के लिए मुख्य बीमाकर्ता द्वारा सह–बीमाकर्ता को सह–बीमा प्रीमियम के प्रभाजन का क्रियाकलाप.

१०. इस शर्त के अधीन रहते हुए कि पुनःबीमाकर्ता, बीमाकर्ता द्वारा उक्त अध्यर्पित कमीशन या पुनः बीमा कमीशन सहित संदत्त सकल पुनः बीमा प्रीमियम पर केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर का संदाय करता है, बीमाकर्ता द्वारा पुनः बीमाकर्ता को सेवाएं, जिसके लिए अध्यर्पित कमीशन या पुनः बीमा कमीशन पुनः बीमाकर्ता को बीमाकर्ता द्वारा संदत्त पुनः बीमा प्रीमियम से कटौती किया जाता है.".

३६. उन सभी संदत करों या प्रतिलोम इनपुट कर प्रत्यय का कोई भी प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिनका इस प्रकार संदाय या प्रतिलोम नहीं गया होता, यदि इस अधिनियम की धारा ६ सभी तात्तिवक समयों पर प्रवृत्त होती. संदत्त करों या प्रतिलोम इनपुट कर प्रत्यय का कोई प्रतिदाय न किया जाना.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ में निम्नानुसार संशोधन किये गये हैं—

१. विधेयक का खण्ड २, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की धारा ६ की उपधारा (१) का संशोधन करने के लिए है, जिससे मानवीय उपभोग के लिए एल्कोहाली लिकर के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त अतिरिक्त निष्प्रभावी ऐल्कोहल या परिशोधित स्पिरिट पर राज्य कर का उद्ग्रहण न किया जा सके .

२. विधेयक का खण्ड ३, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की धारा १० की उपधारा (५) में पारिणामिक संशोधन करने के लिए है, जिससे प्रस्तावित नई धारा ७४ क के प्रति निर्देश को सम्मिलित किया जा सके.

३. विधेयक का खण्ड ४, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम में एक नई धारा ११क अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे सरकार

को राज्य कर के गैर–उद्ग्रहण या कम उद्ग्रहण को विनियमित करने के लिए सशक्त किया जा सके, जहां उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा गैर–उद्ग्रहण या कम उद्ग्रहण साधारण पद्धति का परिणाम था.

४. विधेयक का खण्ड ५, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की धारा १३ की उपधारा (३) का संशोधन करने के लिए है, जिससे उन मामलों में जहां प्रतिलोम प्रभार पूर्तियों में सेवाओं के प्राप्तिकर्ता द्वारा बीजक जारी किया जाना अपेक्षित है, वहां सेवाओं की प्रदाय के समय को विनिर्दिष्ट किया जा सके.

५. विधेयक का खण्ड ६, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की धारा १६ में एक नई उपधारा (५) अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे विद्यमान उपधारा (४) के अपवाद को अपवर्जित किया जा सके और यह उपबंध किया जा सके कि वित्तीय वर्ष २०१७–१८, २०१८–१९, २०१९–२० और २०२०–२१ के लिए बीजक या नामे नोट के संबंध में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा ३९ के अधीन किसी विवरणी में, जिसे ३० नवंबर, २०२१ तक फाइल किया जाना है, इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा.

यह खंड उक्त धारा में एक नई उपधारा (६) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव करता है, जिससे, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की तारीख से या रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तारीख से अवधि के लिए फाइल की गई किसी विवरणी में, किसी बीजक या नामे नोट की बाबत इनपुट कर प्रत्यय के लिए जाने को, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के आदेश की तारीख के तीस दिन के भीतर, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के आदेश की तारीख तक, इस शर्त के अधीन रहते हुए अनुज्ञात किया जा सके कि उक्त बीजक या नामे नोट के संबंध में प्रत्यय के लिए जाने के लिए समय–सीमा रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के आदेश की तारीख को उक्त धारा की उपधारा (४) के अधीन पहले ही समाप्त न हो गई हो.

पूर्वोक्त संशोधन १ जुलाई, २०१७ से प्रभावी किए जाने का प्रस्ताव है.

इसके अतिरिक्त यह प्रस्तावित है कि जहां कर का संदाय किया गया है या इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिलोम किया गया है, वहां इसका कोई प्रतिदाय अनुज्ञेय नहीं होगा.

६. विधेयक का खण्ड ७, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की धारा १७ की उपधारा (५) का संशोधन करने के लिए है, जिससे उक्त अधिनियम की धारा ७४के अधीन संदत्त कर के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय की अनुपलब्धता को केवल वित्तीय वर्ष २०२३–२४ तक की मांगों के संबंध में निर्बंधित किया जा सके.

यह खंड उक्त, उपधारा में धारा १२९ और धारा १३० के निर्देश को हटाने का भी प्रस्ताव करता है.

७. विधेयक का खण्ड ८, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की धारा २१ में पारिणामिक संशोधन करने के लिए है, जिससे प्रस्तावित नई धारा ७४क के प्रतिनिर्देश को सम्मिलित किया जा सके.

८. विधेयक का खण्ड ९, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की धारा ३० की उपधारा (२) में एक नया परंतुक अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे राज्य सरकार को रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण को प्रतिसंहरण के लिए शर्तों और निबंधनों को विहित करने हेतु नियमों द्वारा सशक्त किया जा सके.

९. विधेयक का खण्ड १०, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की धारा ३१ की उपधारा (३) के खंड (च) का संशोधन करने के लिए है, जिससे राज्य सरकार को प्रतिलोम प्रभार तंत्र प्रदाय के मामले में प्राप्तकर्ता द्वारा बीजक जारी किए जाने के लिए अवधि को नियमों द्वारा विहित करने के लिए सशक्त किया जा सके.

उक्त धारा की उपधारा (३) में एक स्पष्टीकरण अंतःस्थाप्रित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह विनिर्दिष्ट किया जा सके कि उक्त अधिनियम की धारा ५१ के अधीन स्त्रोत पर कर कटौती के प्रयोजनों के लिए एक मात्र रूप से रजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ता उक्त अधिनियम की धारा ३१ की उपधारा (३) के खण्ड (च) के प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नहीं समझा जाएगा.

१०. विधेयक का खण्ड ११, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की धारा ३५ की उपधारा (६) का पारिणामिक संशोधन करने के लिए

है, जिससे प्रस्तावित नई धारा ७४क के प्रति निर्देश को सम्मिलित किया जा सके.

११. विधेयक का खण्ड १२, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की धारा ३६ की उपधारा (३) को स्थापित करने के लिए है, जिससे स्त्रोत पर कर कटौती करने के लिए अपेक्षित रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए यह आज्ञापक बनाया जा सके कि वे, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि क्या उनके द्वारा उक्त मास में कोई कटौती की गई है या नहीं, प्रत्येक मास के लिए इलैक्ट्रानिक रूप से विवरणी प्रस्तुत करे.

यह सरकार को नियमों द्वारा प्ररूप, रीति और ऐसे समय को विहित करने के लिए भी सशक्त करता है जिसके भीतर ऐसी विवरणी फाइल की जाएगी.

१२. विधेयक का खण्ड १३, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की धारा ४६ की उपधारा (८) में पारिणामिक संशोधन करने के लिए है, जिससे प्रस्तावित नई धारा ७४क के प्रतिनिर्देश को सम्मिलित किया जा सके.

१३. विधेयक का खण्ड १४, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की धारा ५० की उपधारा (१) में पारिणामिक संशोधन करने के लिए है, जिससे प्रस्तावित नई धारा ७४क के प्रतिनिर्देश को सम्मिलित किया जा सके.

१४. विधेयक का खण्ड १५, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की धारा ५१ की उपधारा (७) में पारिणामिक संशोधन करने के लिए है, जिससे प्रस्तावित नई धारा ७४क के प्रतिनिर्देश को सम्मिलित किया जा सके.

१५. विधेयक का खण्ड १६, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की धारा ५४ में एक नई उपधारा (१५) अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे उपधारा (३) के दूसरे परंतुक का लोप किया जा सके और यह उपबंध किया जा सके कि जहां ऐसा माल निर्यात शुल्क के अध्यधीन है, वहां अनुपयोजित इनपुट कर प्रत्यय या एकीकृत कर का कोई प्रतिदाय माल के शून्य रेटेड पूर्ति के मामलों में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा.

१६. विधेयक का खण्ड १७, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की धारा ६१ की उपधारा (३) में पारिणामिक संशोधन करने के लिए है, जिससे प्रस्तावित नई धारा ७४क के प्रतिनिर्देश को सम्मिलित किया जा सके.

१७. विधेयक का खण्ड १८, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की धारा ६२ की उपधारा (१) में पारिणामिक संशोधन करने के लिए है, जिससे प्रस्तावित नई धारा ७४क के प्रतिनिर्देश को सम्मिलित किया जा सके.

१८. विधेयक के खण्ड १९, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की धारा ६३ में पारिणामिक संशोधन करने के लिए है, जिससे प्रस्तावित नई धारा ७४क के प्रतिनिर्देश को सम्मिलित किया जा सके.

१९. विधेयक का खण्ड २०, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की धारा ६४ की उपधारा (२) में पारिणामिक संशोधन करने के लिए है, जिससे प्रस्तावित नई धारा ७४क के प्रतिनिर्देश को सम्मिलित किया जा सके.

२०. विधेयक का खण्ड २१, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की धारा ६५ की उपधारा (७) में पारिणामिक संशोधन करने के लिए है, जिससे प्रस्तावित नई धारा ७४क के प्रतिनिर्देश को सम्मिलित किया जा सके.

२१. विधेयक का खण्ड २२, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की धारा ६६ की उपधारा (६) में पारिणामिक संशोधन करने के लिए है, जिससे प्रस्तावित नई धारा ७४क के प्रतिनिर्देश को सम्मिलित किया जा सके.

२२. विधेयक का खण्ड २३, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की धारा ७० में एक नई उपधारा (१क) अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे समन किए गए व्यक्ति की ओर से प्राधिकृत प्रतिनिधि को समुचित अधिकारी के समक्ष उक्त अधिकारी द्वारा जारी समन के अनुपालन में उपस्थित होने के लिए समर्थ बनाया जा सके.

२३. विधेयक का खण्ड २४, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की धारा ७३ में एक नई उपधारा (१२) अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे वित्तीय वर्ष २०२३–२४ तक की अवधि से संबंधित कर अवधारण के लिए उक्त धारा के लागू होने को निर्बंधित किया जा सके.

यह खंड उक्त धारा के पार्श्वशीर्ष को तदनुसार संशोधित करने का भी प्रस्ताव करता है.

२४. विधेयक का खण्ड २५, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की धारा ७४ में एक नई उपधारा (१२) अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे वित्तीय वर्ष २०२३–२४ तक की अवधि से संबंधित कर अवधारण के लिए उक्त धारा के लागू होने को निर्बंधित किया जा सके.

यह खंड उक्त धारा के पार्श्वशीर्ष को तदनुसार संशोधित करने का भी प्रस्ताव करता है.

२५. विधेयक का खण्ड २६, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम में एक नई धारा ७४क अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे वित्तीय वर्ष २०२४–२५ से किसी कारणवश असंदत्त या कम संदत्त या त्रुटिवश प्रतिदत्त या गलती से लिए गए या अनुपयोजित इनपुट कर प्रत्यय के अवधारण के लिए उपबंध किया जा सके.

खंड वित्तीय वर्ष २०२४–२५ से कपट, जानबूझकर मिथ्या कथन या तथ्यों को दबाने को अंतर्वलित करने वाले मामलों के लिए, उच्चतर शास्ति रखते हुए, आगे इस बात को ध्यान में न रखते हुए कि क्या कपट, तथ्यों को छिपाने या जानबूझकर मिथ्या कथन करने के आरोप लगाए जाते हैं या नहीं, मांगों के संबंध में मांग सूचनाएं और आदेश जारी करने के लिए समान सीमा अवधि का भी उपबंध करता है.

२६. विधेयक का खण्ड २७, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की धारा ७५ में एक नई उपधारा (२क) अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे उन मामलों में, जहां कपट, जानबूझकर मिथ्या कथन करने या तथ्यों को छिपाने के आरोप सिद्ध नहीं होते हैं, वहां उक्त धारा की उपधारा (५) के खंड (एक) के अनुसार, शास्ति का पुनः अवधारण करने के लिए उक्त अधिनियम की प्रस्तावित धारा ७४क की उपधारा (५) के खंड (दो) के अधीन शास्तिक उपबंध करने वाली सूचना में मांग की गई शास्ति के पुनः अवधारण का उपबंध किया जा सके.

यह खंड उक्त अधिनियम की धारा ७५ में पारिणामिक संशोधन करने के लिए भी है, जिससे प्रस्तावित धारा ७४क या उसकी सुसंगत उपधाराओं के प्रतिनिर्देश को सम्मिलित किया जा सके.

२७. विधेयक का खण्ड २८, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की धारा १०४ की उपधारा (१) में पारिणामिक संशोधन करने के लिए है, जिससे प्रस्तावित नई धारा ७४क की उपधारा (२) और उपधारा (७) के प्रति निर्देश को सम्मिलित किया जा सके.

२८. विधेयक का खण्ड २९, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की धारा १०७ की उपधारा (६) का संशोधन करने के लिए है, जिससे अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील फाइल करने के लिए पूर्व–निक्षेप की अधिकतम रकम को राज्य कर में पच्चीस करोड़ रुपए से घटाकर बीस करोड़ रुपए किया जा सके.

खंड उक्त धारा की उपधारा (११) में पारिणामिक संशोधन करने का भी प्रस्ताव करता है, जिससे प्रस्तावित नई धारा ७४क के प्रतिनिर्देश को सम्मिलित किया जा सके.

२९. विधेयक का खण्ड ३०, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की धारा ११२ की उपधारा (१) और उपधारा (३) का संशोधन करने के लिए है, जिससे सरकार को अपील अधिकरण के समक्ष अपील फाइल करने के लिए तारीख अधिसूचित करने हेतु और अपीलें या आवेदन फाइल करने के लिए पुनरीक्षित समय–सीमा का उपबंध करने के लिए सशक्त किया जा सके.

यह प्रस्ताव है कि उक्त संशोधनों को १ अगस्त, २०२४ से प्रभावी किया जाए.

यह खंड उक्त धारा की उपधारा (६) का संशोधन करने के लिए भी है, जिससे उक्त विनिर्दिष्ट छह मास की समय–सीमा के अवसान के पश्चात् तीन मास के भीतर विभाग द्वारा फाइल की गई अपील को ग्रहण करने के लिए अपील अधिकरण को समर्थ बनाया जा सके.

इसके अतिरिक्त, यह खंड उक्त धारा की उपधारा (८) का संशोधन करने के लिए भी है, जिससे अपील अधिकरण के समक्ष अपील फाइल करने के लिए पूर्व–निक्षेप की अधिकतम रकम को विवादग्रस्त कर की विद्यमान बीस प्रतिशत से दस प्रतिशत किया जा सके तथा पूर्व–निक्षेप के रूप में संदेय अधिकतम रकम को भी राज्य कर में पचास करोड़ रुपए से घटाकर बीस करोड़ रुपए किया जा सके.

३०. विधेयक का खण्ड ३१, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की धारा १२२ की उपधारा (१ ख) का संशोधन करने के लिए है, जिससे उक्त उपधारा के लागू होने को इलैक्ट्रानिक वाणिज्यि प्रचालकों तक निर्बंधित किया जा सके, जिनसे उक्त अधिनियम की धारा ५२ के अधीन स्त्रोत पर कर संग्रहण करना अपेक्षित है.

उक्त संशोधन को १ अक्तूबर, २०२३ से प्रभावी किए जाने का प्रस्ताव है, जब उक्त उपधारा प्रवृत्त हुई थी.

३१. विधेयक का खण्ड ३२, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की धारा १२७ का पारिणामिक संशोधन करने के लिए है, जिससे प्रस्तावित नई धारा ७४क के प्रतिनिर्देश को सम्मिलित किया जा सके.

३२. विधेयक का खण्ड ३३, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम में एक नई धारा १२८क अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे वित्तीय वर्ष २०१७–१८, २०१८–१९ और २०१९–२० के लिए उक्त अधिनियम की धारा ७३ के अधीन जारी त्रुटिवश प्रतिदाय के संबंध में मांग सूचनाओं के सिवाय मांग सूचनाओं के संबंध में ब्याज और शास्ति के सशर्त अधित्यजन के लिए उपबंध किया जा सके.

इसके अतिरिक्त, यह भी प्रस्ताव है कि उन मामलों में, जहां उक्त वित्तीय वर्षों के लिए किसी मांग के संबंध में ब्याज और शास्ति का पहले ही संदाय किया जा चुका है, उनके लिए कोई भी प्रतिदाय अनुज्ञेय नहीं होगा.

३३. विधेयक का खण्ड ३४, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की धारा १७१ की उपधारा (२) का संशोधन करने के लिए है, जिससे सरकार को उस तारीख को अधिसूचित करने के लिए सशक्त बनाया जा सके, जिससे उक्त धारा के अधीन प्राधिकारी मुनाफाखोरी निरोधी मामलों के लिए कोई आवेदन स्वीकार नहीं करेगा.

एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे उक्त धारा के अधीन "प्राधिकारी" पद में "अपील प्राधिकारी" के निर्देश को सम्मिलित किया जा सके.

३४. विधेयक का खण्ड ३५, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की अनुसूची ३ का संशोधन करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि सह–बीमा करारों में बीमा किए गए व्यक्ति को मुख्य बीमाकर्ता और सह–बीमाकर्ता द्वारा संयुक्त रूप से पूर्ति की गई बीमा सेवाओं के लिए मुख्य बीमाकर्ता द्वारा सह–बीमाकर्ता को सह–बीमा प्रीमियम के प्रभाजन का क्रियाकलाप न तो माल का प्रदाय और न ही सेवाओं का प्रदाय मानी जाएगी:

परंतु यह कि मुख्य बीमाकर्ता बीमा किए गए व्यक्ति द्वारा संदत्त संपूर्ण प्रीमियम की रकम पर कर दायित्व का संदाय करे.

खंड यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव करता है कि बीमाकर्ता द्वारा पुनः बीमाकर्ता को ऐसी सेवाएं, जिनके लिए अध्यर्पित कमीशन या पुनःबीमा कमीशन, पुनःबीमाकर्ता को बीमाकर्ता द्वारा संदत्त पुनःबीमा प्रीमियम से कटौती किया जाता है, न तो माल की प्रदाय और न ही सेवाओं की प्रदाय मानी जाएगी, परंतु यह कि पुनःबीमा कमीशन या अध्यर्पित कमीशन सहित सकल पुनः बीमा प्रीमियम पर कर दायित्व पुनः बीमाकर्ता द्वारा संदत्त किया जाता है.

३५. विधेयक का खण्ड ३६, यह उपबंध करने के लिए है कि ऐसी सभी संदत्त करों या प्रतिलोम इनपुट कर प्रत्यय में से कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जो इस प्रकार संदत्त नहीं किए गए होते या प्रतिलोम नहीं किए होते मानो उक्त धारा ६ सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त हुई होती.

३६. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

दिनांक : 16 दिसम्बर, २०२४.

जगदीश देवड़ा

भारसाधक सदस्य.

"संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.".

ए. पी. सिंह

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में व्याख्यात्मक ज्ञापन.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण संबंधी ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के जिन खण्डों द्वारा विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजन राज्य सरकार को किया जा रहा है, उनका विवरण निम्नानुसार है :–

खण्ड १ – अधिनियम के विभिन्न उपबंधों को विभिन्न तारीखों को अधिसूचना जारी कर लागू करने;

खण्ड ४ :– राज्य कर के गैर–उद्ग्रहण या कम उद्ग्रहण को विनियमित करने के लिए सशक्त करने तथा अधिसूचना के माध्यम से कर से छूट प्रदान किये जाने;

खण्ड ६ :– रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण को प्रतिसंहरण के लिए शर्तों और निबंधनों को विहित किये जाने;

खण्ड १०क :– प्रतिलोम प्रभार तंत्र पूर्तियों के मामले में प्राप्तकर्ता द्वारा बीजक जारी किए जाने की अवधि विहित किये जाने;

खण्ड १२ :– स्रोत पर कर कटौती करने के लिए इलैक्ट्रानिक रूप से विवरणी प्रस्तुत करने का प्ररूप, प्रक्रिया एवं समय सीमा विहित किये जाने;

खण्ड २६ :– धारा ७४क के अंतर्गत सूचना पत्र जारी करने के पश्चात आदेश जारी करने की समय सीमा को बढाये जाने;

खण्ड ३३ :– वित्तीय वर्ष २०१७–१८, २०१८–१९ और २०१९–२० के लिए उक्त अधिनियम की धारा ७३ के अधीन जारी त्रुटिवश प्रतिदाय के संबंध में मांग सूचनाओं के सिवाय मांग सूचनाओं के संबंध में ब्याज और शास्ति के सशर्त अधित्यजन किये जा सकने के लिए कर राशि जमा करने की तिथि के संबंध अधिसूचना जारी किये जाने तथा समस्त कार्यवाहियों की समाप्ति के लिए शर्तें विहित किये जाने; तथा

खण्ड ३४ :– उस तारीख को जिससे उक्त धारा के अधीन प्राधिकारी मुनाफाखोरी निरोधी मामलों के लिए कोई आवेदन स्वीकार नहीं करेगा, संबंधी अधिसूचना जारी किये जाने;

के संबंध में नियम बनाये जायेगें, जो सामान्य स्वरूप के होंगे.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (क्रमांक १६ सन् २०१७) से उद्धरण.

* * *

धारा ६ (१) उपधारा (२) की उपबंधों के अधीन रहते हुए, मानवीय उपभोग के लिए मद्यसारिकपान के प्रदाय के छोडकर, माल या सेवाओं या दोनों के सभी अंतःराज्यिक प्रदायों पर, धारा १५ के अधीन अवधारित मूल्य पर और बीस प्रतिशत से अनधिक, ऐसी दरों पर, जो सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाए, राज्य माल और सेवा कर नामक कर का, (ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, उदग्रहण और संग्रहण किया जाएगा और जो कराधेय व्यक्ति द्वारा संदत्त किया जाएगा.

धारा १० (५) यदि उचित अधिकारी के पास, यह विश्वास करने का कारण है कि किसी कराधेय व्यक्ति ने पात्र न होते हुए भी, उपधारा (१) या उपधारा (२क) के अधीन यथास्थिति कर संदत्त कर दिया है तो ऐसा व्यक्ति, किसी ऐसे कर के अतिरिक्त ज्यों इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन उसके द्वारा संदेय हो, शास्ति का दायी होगा और धारा ७३ या धारा ७४ के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित कर और शास्ति के अवधारण के लिए लागू होंगे.

धारा ११ (१) जहां सरकार का.....भाग से छूट दे सकेगी.

(२) जहां सरकार का .....संदाय से छूट दे सकेगी.

(३) सरकार, यदि वह.....अधिसूचना या आदेश का भाग था.

(४) केन्द्रीय सरकार.....आदेश समझा जायेगा.

स्पष्टीकरण– इस धारा के.....संग्रहण नही करेगा.

* * *

धारा १३ (३) ऐसे प्रदायों की दशा में, जिसके संबंध में, विपरीत प्रभार के आधार पर कर का संदाय किया जाता है या कर संदेय है, प्रदाय का समय निम्नलिखित तारीखों में से पूर्वतर होगा, अर्थात्:–

(क) संदाय की तारीख, जो प्राप्तिकर्ता की लेखा–पुस्तकों में प्रविष्ट है या वह तारीख, जिसको उसके बैंक खाते से संदाय का विकलन किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो; या

(ख) प्रदायकर्ता द्वारा बीजक या उसके बजाए कोई अन्य दस्तावेज, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, जारी किए जाने की तारीख से साठ दिन के ठीक पश्चात्वर्ती तारीख :

परंतु जहां खंड (क) या (ख) के अधीन प्रदाय के समय का अवधारण संभव नहीं है, वहां प्रदाय का समय, प्रदाय के प्राप्तिकर्ता की लेखा–पुस्तकों में प्रविष्टि की तारीख होगी;

परंतु यह और कि सहयुक्त उद्यमों द्वारा प्रदाय की दशा में, जहां सेवा का प्रदायकर्ता भारत से बाहर स्थित है, वहां प्रदाय का समय, प्रदाय के प्राप्तिकर्ता की लेखा–पुस्तकों में प्रविष्टि की तारीख या संदाय की तारीख इनमें से जो भी पूर्वतर हो, होगा.

* * *

धारा १६ (१) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति,..... जमा की जाएगी.

(२) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात ..... उपभोग करने का हकदार होगा.

(३) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति..... अनुज्ञात नहीं किया जाएगा.

(४) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति..... हकदार नहीं होगा.

धारा १७ (५) धारा १६ की उपधारा (१) और धारा १८ की उपधारा (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध नहीं होगा, अर्थात्:

(ज) खोया हुआ, चोरी हुआ, नष्ट हुआ, दान या निःशुल्क सैंपल द्वारा अपलिखित या व्ययनित माल;

(झ) धारा ७४, धारा १२६ और धारा १३० के उपबंधों के अनुसार संदत्त कोई कर.

* * *

धारा २१ जहां इनपुट सेवा कर वितरक, धारा २० में अंतर्विष्ट उपबंधों के उल्लंघन में प्रत्यय का ऐसा वित्तरण करता है, जिसके परिणामस्वरूप, प्रत्यय के एक या अधिक प्राप्तिकर्ताओं को आधिक्य में प्रत्यय का वितरण हो जाता है, वहां ऐसे प्राप्तिकर्ताओं से इस प्रकार वितरित आधिक्य प्रत्यय ब्याज के साथ वसूल किया जाएगा और, यथास्थिति, धारा ७३ या धारा ७४ के उपबंध वसूल किए जाने वाली रकम के अवधारण के लिए यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे.

* * *

धारा ३० (२) उचित अधिकारी, ऐसी रीति में और ऐसी अवधि में, जो आदेश द्वारा विहित की जाए, या तो रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण कर सकेगा या आवेदन को खारिज कर सकेगा:

परंतु रजिस्ट्रीकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बिना खारिज नहीं किया जाएगा.

धारा ३१ (३) उपधारा (१) और उपधारा (२) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी—

(क) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ... जारी कर सकेगा;

(ख) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति .....दो सौ रुपए से कम है;

(ग) छूट–प्राप्त मालों..... बिल जारी करेगा :

परंतु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ..... दो सौ रूपये से कम है;

(घ) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ..... कोई दस्तावेज जारी करेगा;

(ङ) जहां, माल या सेवा ..... वाउचर जारी कर सकेगा;

(च) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा ६ की उपधारा (३) या उपधारा (४) के अधीन कर संदत्त करने के लिए दायी है, उसके द्वारा किसी ऐसे प्रदाता से, जो रजिस्ट्रीकृत नही है, प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति की तारीख को, माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में कोई बीजक जारी करेगा :

(छ) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा ६ की उपधारा (३) या उपधारा (४) के अधीन कर संदत्त करने के लिए दायी है. ऐसे पूर्तिकार संदाय वाउचर जारी करेगा.

* * *

धारा ३५ (६) धारा १७ की उपधारा (५) के खंड (ज) के उपबंधों के अध्यधीन, जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपधारा (१) के अनुसार माल या सेवाओं या दोनों का लेखा देने में विफल रहता है, वहां समुचित अधिकारी ऐसे माल या सेवाओं या दोनों पर, संदेय कर की रकम, जिनका लेखा नहीं दिया गया है, अवधारित करेगा, मानों ऐसा माल या सेवाए या दोनों की ऐसे व्यक्ति द्वारा पूर्ति की गई थी और, यथास्थिति, धारा ७३ या धारा ७४ के उपबंध ऐसे कर के अवधारण के लिए आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे.

* * *

धारा ३६ (३) धारा ५१ के उपबंधों के अधीन स्रोत्त पर कर की कटौती करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, उस मास के लिए जिसमें ऐसी कटौती की गई है, ऐसे मास की समाप्ति के पश्चात दस दिन के भीतर, की गई है, की विवरणी इलैक्ट्रोनिक रूप में देगा.

* * *

धारा ४६ (८) प्रत्येक कराधेय व्यक्ति इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन अपने कर और अन्य शोध्यों का निम्नलिखित क्रम में निर्वहन करेगा, अर्थातः

(क) स्वः निर्धारित कर और अन्य पूर्व कर कालावधियां से संबंधित विवरणियों के शोध्य;

(ख) स्वः निर्धारित कर और अन्य चालू कर कालावधियों से संबंधित विवरणियों के शोध्यः

(ग) इस अधिनियम या तद्थधीन बनाए गए नियमों के अधीन संदेय कोई अन्य रकम, जिसके अंतर्गत धारा ७३ या ७४ के अधीन अवधारित मांग भी है.

* * *

धारा ५० (१) प्रत्येक व्यक्ति, जो इस अधिनियम या तद्धधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में कर का संदाय करने का दायी है, किंतु सरकार को विहित अवधि के भीतर कर या उसके किसी भाग का रांदाय करने में असफल रहता है, उस अवधि के लिए जिसके दौरान कर या उसका कोई भाग असंदत्त रहता है, स्वयं ऐसी दर पर ब्याज का, जो अठारह प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, जैसा सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए, संदाय करेग.

परंतु किसी कर अवधि के दौरान की गई पूर्तियों के संबंध में संदेय कर पर ब्याज को, जिसे धारा ३६ के उपबंधों के अनुसार नियत तारीख के पश्चात् उक्त अवधि के लिए प्रस्तुत की गई विवरणी में घोषित किया गया है, सिवाय वहां के जहां ऐसी विवरणी को उक्त अवधि के संबंध में धारा ७३ या धारा ७४ के अधीन किन्ही कार्यवाहियों के प्रारंभ होने के पश्चात् प्रस्तुत किया जाता है, कर के उस भाग पर देय होगा, जिसका संदाय इलेक्ट्रानिक नकद खाते से विकलित कर किया जाता है.

* * *

धारा ५१ : (७) इस धारा के अधीन व्यतिक्रम की रकम का अवधारण धारा ७३ या धारा ७४ में विनिर्दिष्ट रीति में किया जाएगा.

* * *

धारा ५४(३) उपधारा (१०) के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कर अवधि के अंत में ऐसे इनपुट कर प्रत्यय का, जिसका उपयोग नही किया गया है, प्रतिदाय का दावा कर सकेगाः

परन्तु निम्नलिखित से भिन्न मामलों में उपयोग न किए गए इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय का कोई दावा अनुज्ञात नहीं किया जाएगा

(एक) कर का संदाय किए बिना की गई शून्य दर प्रदाय :

(दो) जहा इनपुट पर कर की दर मद्दे सिवाए मालों या सेवाओं या दोनों की प्रदायों के जैसा कि परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, बहिर्गामी प्रदायों (शून्य मूल्यांकित या पूणतः छूट प्राप्त से भिन्न) पर कर की दर के उच्चतर होने के लेखे संचित हुआ हैः

परन्तु यह और कि इनपुट कर प्रत्यय, जिसका उपयोग नहीं किया गया है, के प्रतिदाय को उन मामलों में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जहां भारत से निर्यात किए गए माल निर्यात शुल्क की शर्त के अधीन हैः

परन्तु यह भी कि इनपुट कर प्रत्यय के किसी प्रतिदाय को अनुज्ञात नही किया जाएगा यदि मालों या सेंवाओं या दोनों का प्रदायकर्ता केन्द्रीय कर के संबंध में शुल्क वापसी लेता है या ऐसी प्रदायों पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा करता है.

* * *

धारा ६१ (३) समुचित अधिकारी द्वारा सूचित किए जाने के तीस दिन की कालावधि के भीतर या ऐसी और कालवधि, जो उसके द्वारा अनुज्ञात की जाए, में समाधानप्रद स्पष्टीकरण प्रस्तुत न किए जाने की दशा में या जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति विसंगतियों को स्वीकार करने के पश्चात् उस मास की विवरणी में, जिसमें विसंगति स्वीकार की गई थी, सुधारकारी उपाय करने में असफल रहता है तो समुचित अधिकारी समुचित्त कार्रवाई आरंभ कर सकेगा, जिसके अंतर्गत धारा ६५ या धारा ६६ या धारा ६७ के अधीन कार्रवाइयां हैं या वह धार ७३ या धारा ७४ के अधीन कर और अन्य शोध्यों का अवधारण करने के लिए अग्रसर होगा.

* * *

धारा ६२ : (१) धारा ७३ या धारा ७४ में तत्प्रतिकूल किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, जहां कोई व्यक्ति धारा ३६ या धारा ४५ के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने में धारा ४६ के अधीन सूचना की तामील के पश्चात् भी असफल रहता है तो समुचित अधिकारी उक्त व्यक्ति का अपनी सर्वोत्तम जानकारी और उपलब्ध तात्विक सामग्री यथा वह सामग्री, जिसका उसने एकत्रित किया है, को गणना में लेने के पश्चात् कर के लिए निर्धारण करने के लिए अग्रसर होगा तथा वित्त वर्ष, जिसके लिए असंदत कर संबधित है, की वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए धारा ४४ के अधीन विनिर्दिष्ट तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर निर्धारण का आदेश जारी करेगा.

धारा ६३ : धारा ७३ या धारा ७४ में तत्प्रतिकूल किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, जहां कोई कराधेय व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी होते हुए भी उसे अभिप्राप्त करने में असफल रहता है या जिसका रजिस्ट्रीकरण धारा २६ की उपधारा (२) के अधीन रद्द कर दिया गया है किन्तु जो कर का संदाय करने का दायी था, तो समुचित अधिकारी उक्त व्यक्ति का अपनी सर्वोत्तम विवेक और उपलब्ध तात्विक सामग्री या वह सामग्री, जिसको उसने एकत्रित किया है, को गणना में लेने के पश्चात् कर के लिए निर्धारण करने के लिए अग्रसर होगा तथा वित्त वर्ष, जिसके लिए असंदत्त कर संबंधित है, की वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए धारा ४४ के अधीन विनिर्दिष्ट तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर निर्धारण आदेश जारी करेगा,

परंतु व्यक्ति को सुने जाने का अवसर प्रदान किये बिना ऐसा कोई निर्धारण आदेश नहीं किया जाऐगा.

* * *

धारा ६४ : (२) उपधारा (१) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर कराधेय व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर या स्वयं अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त यह विचार करता है कि ऐसा आदेश त्रुटिपूर्ण है तो वह ऐसे आदेश का प्रतिसंहरण कर सकेगा और धारा ७३ और धारा ७४ में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा.

* * *

धारा ६५ : (७) जहां उपधारा (१) के अधीन संचालित लेखापरीक्षा का परिणाम कर का संदाय न करना का पता लगने या कम कर संदत्त किये जाने या त्रुटिवश प्रतिदाय किये जाने या इनपुट कर प्रत्यय को गलत तरीके से लेने या उपयोग करने के रूप में होता है तो समुचित अधिकारी धारा ७३ या ७४ के अधीन कार्यवाही आरंभ कर सकेगा.

* * *

धारा ६६ : (६) जहां उपधारा (१) के अधीन संचालित लेखापरीक्षा परिणाम कर का संदाय न करना का पता लगने या कम कर संदत्त किये जाने या त्रुटिवश प्रतिदाय किये जाने या इनपुट कर प्रत्यय को गलत तरीके से लेने या उपयोग करने के रुप में होता है तो समुचित्त अधिकारी धारा ७३ या ७४ के अधीन कार्यवाही आरंभ कर सकेगा.

* * *

धारा ७० : (१) इस अधिनियम के अधीन समुचित अधिकारी को किसी व्यक्ति को समन करने की, जिसकी उपस्थिति को किसी जांच में वह साक्ष्य देने के लिए या किसी दस्तावेज या किसी वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक समझता है, उसी रीति में शक्ति होगी जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (१९०८ का ५) के अधीन किसी सिविल न्यायालय को दी गई है.

* * *

धारा ७३ : (११) उपचारा (६) या उपधारा (८) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (९) के अधीन शास्ति वहां संदेय होगी जहां स्वतः निर्धारित कर या कर के रूप में एकत्रित किसी रकम को ऐसे कर के संदाय की तारीख से तीस दिन की कालवधि के भीतर संदत्त नहीं किया गया है.

* * *

धारा ७४ : (११) जहाँ कोई व्यक्ति, जिस पर उपधारा (९) के अधीन आदेश की तामील की गई है, धारा ५० के अधीन उस पर संदेय ब्याज के साथ कर और ऐसे कर के पचास प्रतिशत के समतुल्य शास्ति का आदेश की २ संसूचना के तीस दिन के भीतर संदाय कर देता है तो ऐसी सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियों को पूरा हुआ समझा जाएगा.

स्पष्टीकरण १ –(एक) "उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियां" में धारा–१३२ के अधीन कार्यवाहियां सम्मिलित नहीं होगी–:

(दो) जहाँ उन्हीं कार्यवाहियों के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी मुख्य व्यक्ति और कुछ अन्य व्यक्तियों को सूचना जारी की जाती है और ऐसी कार्यवाहियों को धारा–७३ या धारा–७४ के अधीन मुख्य व्यक्ति को विरूद्ध पूरा कर लिया गया है तो धारा–१२२, धारा–१२५,

धारा–१२६ और धारा–१३० के अधीन शास्ति का संदाय करने के लिए दायी सभी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाहियों को पूरा हुआ समझा जाएगा.

स्पष्टीकरण २– इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, "छिपाना" पद से ऐसे तथ्यों या जानकारी को घोषित नहीं करना जिससे कराधेय व्यक्ति से इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन विवरणी, विवरण, रिपोर्ट या किसी अन्य दरतावेज में घोषित करने की अपेक्षा है या लिखित में मांगे जाने पर किसी सूचना को समुचित अधिकारी को प्रस्तुत करने में असफलता अभिप्रेत होगा.

* * *

धारा ७५ (१) जहां किसी सूचना की तामील या आदेश के जारी करने पर किसी न्यायालय या अपील अधिकरण द्वारा रोक लगा दी जाती है तो ऐसी रोक की अवधि को, यथास्थिति, धारा ७३ की उपधारा (२) और उपधारा (१०) तथा धारा ७४ की उपधारा (२) और उपधारा (१०) में विनिर्दिष्ट अवधि की संगणना करने से अपवर्जित किया जाएगा.

(२) जहां कोई अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि धारा ७४ की उपधारा (१) के अधीन इस कारण से भरणीय नहीं है कि कर अपवंचन के लिए कपट या जानबूझकर मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाना उस व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं होता है जिसको सूचना जारी की गई थी, तो समुचित अधिकारी ऐसे व्यक्ति द्वारा संदेय कर का यह मानते हुए अवधारण करेगा कि धारा ७३ की उपधारा (१) के अधीन सूचना जारी की गई थी.

(१०) न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों को पूरा हुआ समझा जाएगा, यदि धारा ७३ की उपधारा (१०) में यथा उपबंधित तीन वर्ष के भीतर या धारा ७४ की उपधारा (१०) में यथा उपबंधित पांच वर्ष के भीतर आदेश जारी नहीं किया जाता है.

(११) कोई विवाद्यक, जिस पर अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय द्वारा अपना विनिश्चय लिया गया है, जो किन्हीं अन्य कार्यवाहियों में राजस्व के हित के प्रतिकूल है और अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय यथा उच्चतम न्यायालय में अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय के ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध कोई अपील लंबित है तो अपील प्राधिकारी और अपील अधिकरण के विनिश्चय की तारीख के बीच की कालावधि की या अपील अधिकरण और उच्च न्यायालय के विनिश्चय की तारीख और उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख को धारा ७३ की उपधारा (१०) या धारा ७४ की उपधारा (१०) में निर्दिष्ट कालावधि की संगणना करने में वहां अपवर्जित किया जाएगा जहां कार्यवाहियां उक्त धाराओं के अधीन हेतुक उपदर्शित जारी करने के माध्यम से संस्थित की गई हैं.

(१२) धारा ७३ या धारा ७४ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां धारा ३६ के अधीन प्रस्तुत विवरणी के अनुसार स्वतः निर्धारित कर की कोई रकम पूर्णतः या भागतः असंदत्त रहती है या ऐसे कर पर संदेय ब्याज की कोई रकम असंदत्त रहती है तो उसकी धारा ७६ के उपबंधों के अधीन वसूली की जाएगी.

स्पष्टीकरणः इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "स्वतः निर्धारित कर" में धारा ३७ के अधीन प्रस्तुत जावक पूर्तियों के ब्यौरों के संबंध में देय कर, सम्मिलित है किन्तु धारा ३६ के अधीन प्रस्तुत की गईं विवरणी में सम्मिलित नहीं है.

(१३) जहां धारा ७३ या धारा ७४ के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित की जाती है, तो उसी कृत्य या लोप पर किसी शास्ति को उसी व्यक्ति पर इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन अधिरोपित नहीं किया जाएगा.

* * *

धारा १०४ : (१) जहां प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी या राष्ट्रीय अपील प्राधिकारी, यह पाता है कि धारा ६८ की उपधारा (४) के अधीन या धारा १०१ की उपधारा (१) या केन्द्रीय माल एवं कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का १२) की धारा १०१ ग के अधीन, उसके द्वारा उद्घोषित अग्रिम विनिर्णय को आवेदक या अपीलार्थी द्वारा कपट या तात्विक तथ्यों को छिपाने या तथ्यों के दुव्यर्पदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है तो वह आदेश द्वारा ऐसे विनिर्णय को आरंभ से ही शून्य घोषित कर देगा और तत्पश्चात् इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंध आवेदक या अपीलार्थी को ऐसे लागू होंगे मानो अग्रिम विनिर्णय कभी किया ही नहीं था:

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा यदि आवेदक या अपीलार्थी को सुने जाने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया हो.

स्पष्टीकरण : धारा ७३ की उपधारा (२) और उपधारा (१०) या धारा ७४ की उपधारा (२) और उपधारा (१०) में विनिर्दिष्ट अवधि की गणना करते समय इस उपधारा के अधीन ऐसे अग्रिम विनिर्णय की तारीख से प्रारंभ होने वाली और आदेश की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि को परिवर्जित कर दिया जाएगा.

* * *

धारा १०७ : (६) उपधारा (१) के अधीन कोई अपील फाइल नहीं की जाएगी यदि अपीलकर्ता ने—

(क) आक्षेपित आदेश से उद्‌भूत कोई कर, ब्याज, जुर्माना, फीस और शास्ति का पूर्ण या ऐसे भाग का संदाय नहीं किया हो जैसा उसके द्वारा स्वीकारा जाए; और

(ख) उक्त आदेश, जिसके संबंध में अपील फाइल की गई है, से उद्‌भूत विवाद में बकाया कर की रकम के दस प्रतिशत के बराबर राशि का अधिकतम पच्चीस करोड़ रूपए के अध्यधीन रहते हुए, संदाय नही किया हो.

परंतु यह कि धारा १२६ की उपधारा (३) के अधीन, किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जाएगी, जब तक कि अपीलार्थी द्वारा शास्ति के पच्चीस प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता.

(११) अपील प्राधिकारी ऐसी और जांच करने के पश्चात्, जो आवश्यक हो, उसे संपुष्ट, उपांतरित या उपास्त करने वाला विनिश्चय या आदेश करेगा जो वह उचित समझे, किन्तु उस न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को मामला पुनः निर्दिष्ट नहीं करेगा जिसने ऐसा विनिश्चय या आदेश पारित किया था:

परन्तु अधिहरण या वर्धित मूल्य के माल का अधिकरण के बदले में कोई फीस या शास्ति या जर्माना बढ़ाने वाला अथवा प्रतिदाय की रकम या इनपुट कर प्रत्यय घटाने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा यदि अपीलकर्ता को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करने का उचित अवसर नहीं दे दिया गया हो:

परन्तु यह और कि अपील प्राधिकारी की जहां यह राय है कि कोई कर संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत किया गया है या गलती से प्रतिदाय किया गया है अथवा जहां इनपुट कर प्रत्यय गलत ढंग से प्राप्त किया गया है या उपयोग किया गया है, वहां अपीलकर्ता से ऐसा कर या इनपुट कर प्रत्यय के संदाय की अपेक्षा करने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा यदि अपीलकर्ता को प्रस्तावित आदेश– के विरुद्ध कारण दर्शित करने का नोटिस नहीं दिया गया है और धारा ७३ या धारा ७४ के अधीन विनिर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर आदेश पारित किया जाता है.

* * *

धारा ११२ : (१) इस अधिनियम की धारा १०७ या धारा १०८ के अधीन या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का क्रमांक १२) के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील चाही गई है, अपील करने वाले व्यक्ति को संसूचना की तारीख से, ऐसे आदेश के विरुद्ध तीन मास के भीतर अपील कर सकेंगा.

(२) अपील अधिकरण ..... अधिक न हो.

(३) आयुक्त उक्त आदेश को विधिमान्यता या उपयुक्तता के संबंध में स्वयं के समाधान के प्रयोजन के लिए इस अधिनियम या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का कमांक १२) के अधीन अपीलीय अधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के अभिलेख को स्वतः या केन्द्रीय कर आयुक्त की प्रार्थना पर परीक्षण के लिए मंगा सकेगा और आदेश द्वारा या अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को निर्देश देकर उस तारीख को जिसको अपने आदेश के आयुक्त द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उक्त आदेश से उत्पन्न ऐसे बिन्दुओं के अवधारण के लिए उक्त आदेश पारित किया गया है, से छह मास में अपील अधिकरण को आवेदन कर सकेगा.

(६) अपील अधिकरण, उपधारा (१) में निर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात् तीन मास में एक अपील स्वीकार कर सकेगा या उपधारा (५) में निर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात् ४५ दिन में प्रति आक्षेपों का ज्ञापन फाइल करने के लिए अनुमति दे सकेगा यदि यह समाधान हो जाए कि इसको उस अवधि में प्रस्तुत न कर पाने का उपर्युक्त कारण था.

(७) अपील अधिकरण को-अपील ऐसे प्ररूप में उस रीति में सत्यापित और ऐसी फीस सहित जो विहित की जाए, में होगी.

(८) कोई अपील, उपधारा (१) के अधीन जब तक फाइल नहीं की जाएगी तब तक अपीलार्थी निम्नलिखित संदत्त न कर दे–

(क) पूर्ण कर की रकम का ऐसा कोई भाग, ब्याज, जुर्माना, फीस और आरोपित आदेश से उत्पन्न शास्ति जैसी उसके द्वारा स्वीकार की गई हो; और

(ख) धारा १०७ की उपधारा (६) के अधीन संदत्त रकम के अतिरिक्त, उक्त आदेश, जिसके संबंध में अपील फाइल की गई है, से उद्‌भूत विवाद में बकाया कर की रकम के बीस प्रतिशत के बराबर राशि, अधिकतम पचास करोड़ रूपए के अध्यधीन रहते हुए.

* * *

धारा १२२ : (१ ख) कोई भी इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक, जो–

(i) ऐसी पूर्ति करने के लिए इस अधिनियम के अधीन जारी अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकरण से छूट प्राप्त व्यक्ति के अलावा किसी अपंजीयत व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति की अनुमति देता है;

(ii) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की अंतर्राज्यिक पूर्ति अनुमति देता है, जो ऐसी अंतर्राज्यिक पूर्ति करने के लिए पात्र नहीं ह; या

(iii) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट प्राप्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से प्रभावित माल की किसी भी जावक पूर्ति का, धारा ५२ की उपधारा (४) के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण में सही विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहता है;

ते वह दस हजार रूपए का जुर्माना या यदि ऐसी आपूर्ति धारा १० के अधीन कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति के अलावा, किसी अन्य पंजीयत व्यक्ति द्वारा की गई हो, में सम्मिलित कर की राशि के बराबर राशि, दोनों में जो भी अधिक हो का भुगतान करने के लिए दायी होगा.

* * *

धारा १२७ : जहां समुचित अधिकारी इस विचार का है व्यक्ति शास्ति के लिए दायी है और वह धाश ६२ या धारा ६३ या धारा ६४ या धारा ७३ या धारा ७४ या धारा १२६ या धारा १३० के अधीन किसी कार्यवाही में नहीं आती है तो वह ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसी शास्ति उद्गृहीत करने का आदेश जारी कर सकेगा.

* * *

धारा १२८ : सरकार, अधिसूचना द्वारा कर दाता के ऐसे वर्ग के लिए धारा १२२ या धारा १२३ या धारा १२५ में निर्दिष्ट किसी शास्ति या धारा ४७ में निर्दिष्ट किसी विलंब फीस का भागतः या पूर्णतः और परिषद की सिफारिशों पर उसमें यथा विनिर्दिष्ट ऐसी कम करने वाली परिस्थितियों के अधीन अधित्यजन कर सकेगी.

* * *

धारा १७१ : (२) केन्द्रीय सरकार, यह परीक्षा करने के लिए कि क्या किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उपभोग इनपुट कर प्रत्यय या कर दर में कमी से वास्तव में परिणामतः माल और सेवाओं या उसके द्वारा प्रदाय किए गए दोनों के मूल्यों में अनुरूप कमी हुई है,परिषद् की सिफारिशों पर, उस समय प्रवृत्त किसी अवधि अधिसूचना द्वारा, प्राधिकारी का गठन या किसी विद्यमान प्राधिकारी को सशक्त बना सकेगी.

(३क) जहां उक्त उपधारा के अधीन यथाअपेक्षित परीक्षण करने के पश्चात् उपधारा (२) में निर्दिष्ट प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने उपधारा (१) के अधीन मुनाफाखोरी की है, वहां ऐसा व्यक्ति इस प्रकार मुनाफाखोरी की गई रकम के दस प्रतिशत के बराबर शास्ति का संदाय करने का दायी होगाः

परंतु ऐसी कोई शास्ति उद्ग्रहणीय नहीं होगी यदि मुनाफाखोरी की रकम को प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर जमा करा दिया गया है.

स्पष्टीकरण : इस धारा के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति "मुनाफाखोरी" से ऐसी रकम अभिप्रेत है, जिसे माल या सेवा या दोनों के प्रदाय पर कर की दर में कमी का फायदा या इनपुट कर प्रत्यय का फायदा माल या सेवा या दोनों की कीगत में कमी की अनुरूपता के माध्यम से प्राप्तिकर्ता को नहीं देने के कारण अवधारित किया गया है.

अनुसूची ३ क्रियाकलाप या संव्यवहार जिन्हें न तो माल का प्रदाय माना जाएगा न ही सेवाओं का प्रदाय

(१) कर्मचारी द्वारा अपने नियोजन के संबंध में या उसके अनुक्रम में नियोजक को सेवाएं,

(२) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा सेवाएं,

(३) (क) संसद सदस्यों, राज्य विधानसभा के सदस्यों, पंचायतों के सदस्यों, नगरपालिकाओं के सदस्यों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा पालन किए गए कृत्य;

(ख) उस हैसियत में संविधान के उपबंधों के अनुसरण में किसी पद को धारण किये हुये किसी व्यक्ति द्वारा पालन किये गये कर्तव्य; या

(ग) किसी व्यक्ति द्वारा अध्यक्ष या किसी सदस्य या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित निकाय में अध्यक्ष या किसी सदस्य या निदेशक के रूप में और जिसे इस खण्ड के प्रारम्भ से पूर्व किसी कर्मचारी के रूप में न समझा गया हो पालन किये गये कर्तव्य,

(४) अंतिम संस्कार, दफनाना, शवदाहगृह या मुर्दाघर जिसके अंतर्गत मृतक के परिवहन की सेवायें,

(५) भूमि का विक्रय और अनुसूची–2 के पैरा–5 के खण्ड (ख) के अध्यधीन भवन का विक्रय,

(६) विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों के अतिरिक्त अनुयोज्य दावे,

(७) भारत के बाहर किसी स्थान से, भारत के बाहर किसी अन्य स्थान पर माल का, ऐसे माल के भारत में प्रवेश किये बिना प्रदाय,

(८) (क) घरेलू उपभोग के लिये अनुमति प्रदान किये जाने के पूर्व किसी व्यक्ति को भाण्डागार में रखे गये माल का प्रदाय;

(ख) परेषिती द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को, माल का भारत से बाहर अवस्थित भूल पंतन से प्रेषण किये जाने के पश्चात किन्तु घरेलू उपभोग के लिये अनुमति दिये जाने के पूर्व माल के मालिकाना हक के दस्तावेज में पृष्ठांकन द्वारा मांग का प्रदाय,

स्पष्टीकरण १–पैरा दो के प्रयोजन के लिये शब्द "न्यायालय" जिसके अन्तर्गत जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय भी है.

स्पष्टीकरण २– पैरा ८ के प्रयोजन के लिये अभिव्यक्ति 'भाण्डागार में रखे गये माल" का वही अर्थ होगा जैसा कि सीमा शुल्क अधिनियम, १९६२ (१९६२ का ५२) में उसके लिये समानुदेशित किया गया है.

* * *

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.